अपील सूचना अधिकार संख्या 47/2018(RCMS : 2018/00119) बलराज सिंह पुत्र भाग सिंह निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम राज्य सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.08.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बलराज सिंह स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर के प्रतिनिधि उपस्थित।

प्रार्थी बलराज सिंह कथन है कि उसने दिनांक 25.05.2018 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित उपलब्ध नहीं करवाने के कारण, उसके द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। उसने आगे प्रार्थना की है कि उसकी अपील स्वीकार की जाकर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक व विभागीय कार्यवाही की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी बलराज सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.05.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर से निम्न सूचना चाही थी:–

1. चक 3 एल एल जी तहसील सादुलशहर का मुरब्बा नम्बर 72 का पत्थर नं. 32/153 की 8 बीघा भूमि (कि.नं. 13–14–15–16–17–18–23–24) की 8 बीघा नहरी भूमि भगा सिंह पुत्र मघर सिंह जाति जटसिख निवासी चक केरा के नाम सके किस आधार पर इन्तकाल हुआ है, के सम्बन्धित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर ने अपने पत्रांक 2668 दिनांक 03.08.2018 से निम्न सूचना उपलब्ध करवाई है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा चक 3 एलएलजी के मुरब्बा नम्बर 72 पत्थर नम्बर 32/153 कि.नं 13 से 18, 23, 24 कुल आठ बीघा नहरी भूमि भागसिंह पुत्र मघरसिंह के नाम दर्ज होने सम्बन्धी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति चाही है जो पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

संलग्नः

1. चक 3 एलएलजी का ई.नं. 915 दिनांक 02.08.17 की प्रति।
2. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, सादुलशहर की डिक्री दिनांक 01.05.17

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर द्वारा अपने पत्रांक 2668 दिनांक 03.08.2018 से उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर से प्राप्त सूचनाओं की प्रति भी इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं उसे प्राप्त हो चुकी है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर को भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो यह आदेश आज दिनांक 06.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर